न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न0 **246/2022**

प्रार्थी :— राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थी :— ग्राम पंचायत कानाना

प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू—अभिलेख नियम 1970

उपस्थिति :— सरकारी पैराकार

आदेश

दिनांक :— 08.09.2022

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू— राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज—6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम **कानाना** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) **कानाना से भाटानाडी** तक ग्रेवल से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम **कानाना** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से ग्राम **कानाना** के खसरा न 436 रकबा 2—08 भूमि में उक्त ग्रेवल रास्ता चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट 'अ'** में वर्णित विवरण अनुसार ग्राम आबादी **कानाना से भाटानाडी** सरहद ग्रेवल सडक रास्ता दर्ज करने का **कानाना** निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू— राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज—6/2003/पार्ट/04 जय[illegible] 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:07:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल के प्राप्त हुए भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है। बाद विवेचन तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

पचपदरा की ओर से ग्राम **कानाना** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) आबादी **कानाना से भाटानाडी तक** ग्रेवल सडक से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम **कानाना** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क /बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो आबादी **कानाना से भाटानाडी तक** ग्रेवल सडक जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर विप्रार्थी सरपंच ग्राम पचांयत कनाना द्वारा पत्र कमांक/ग्राम/ का/ विविध/2022/ दिनांक 07.07.2022 द्वारा अनापति प्रमाण पत्र पेश कर जाहिर किया कि राजस्व ग्राम कानाना के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा संख्या 436 रकबा 2–00 बीघा किस्म बा.दो. में 0–08 बीघा मौके अनुसार चल रहे ग्रामींण रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो ग्राम पंचायत कानाना को कोई आपत्ति नहीं है । ऐस किया जाना जनहित में रहेगा । संबंधित पक्षकारान की सहमति अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम कानाना में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो **कानाना से भाटानाडी** ग्रेवल सडक से ग्राम **कानाना** के खसरा नं. 436 रकबा 2–08 बीघा में से 0–08 बीघा भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग प्रभावित प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतौनी में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) न्यायालय बालोतरा

आदेश आज दिनांक 08.09.2022 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया ।

भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:07:42 IST
Reason: SelfAttested